

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 24.01.2025

अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में जारी की गयी अधिसूचना संख्यांक प.2(6)वित्त/कर/2023-62 दिनांक 27.09.2023 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक और उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को इसके द्वारा नियुक्त करती है तथा इस प्रकार नियुक्त किये गये अधिकारियों का मुख्यालय और अधिकारिता उनके प्रत्येक के सामने स्तम्भ संख्यांक क्रमशः 3 और 4 में विनिर्दिष्टानुसार होगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	पदनाम	मुख्यालय	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3	4
1.	अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (प्रशासन)	अजमेर	सम्पूर्ण राजस्थान राज्य
2.	अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (प्रवर्तन)	अजमेर	सम्पूर्ण राजस्थान राज्य
3.	अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (मूल्यांकन)	अजमेर	सम्पूर्ण राजस्थान राज्य
4.	अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (प्रशासन)	जयपुर	सम्पूर्ण राजस्थान राज्य
5.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (करापंचन), विशेष वृत्त जयपुर	जयपुर	सम्पूर्ण राजस्थान राज्य
6.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (कर), मुख्यालय	अजमेर	सम्पूर्ण राजस्थान राज्य
7.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (प्रवर्तन), मुख्यालय	अजमेर	सम्पूर्ण राजस्थान राज्य
8.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर वृत्त	अजमेर	राजस्व जिले अजमेर, टोंक, नागौर और ब्यावर
9.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं	अलवर	राजस्व जिले अलवर और

63

	मुद्रांक, अलवर वृत्त-I		कोटपूतली-बहरोड़
10.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अलवर वृत्त-II	अलवर	राजस्व जिला खैरथल-तिजारा
11.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, बीकानेर वृत्त	बीकानेर	राजस्व जिला बीकानेर
12.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, सीकर वृत्त	सीकर	राजस्व जिले सीकर, डीडवाना-कुचामन, झुंझुनूं और चूरू
13.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, भीलवाड़ा वृत्त	भीलवाड़ा	राजस्व जिले भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़
14.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, हनुमानगढ़ वृत्त	हनुमानगढ़	राजस्व जिले हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर
15.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जयपुर वृत्त-I	जयपुर	उप-रजिस्ट्रार जयपुर- I, II, III, V, IX, X और XII
16.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जयपुर वृत्त-II	जयपुर	उप-रजिस्ट्रार जयपुर- IV, VI, VII, VIII, और XI, उप-रजिस्ट्रार आमेर और राजस्व तहसीलें बस्सी, चौमूं इनकी उप तहसीलों को सम्मिलित करते हुए
17.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जयपुर वृत्त-III	जयपुर	जयपुर वृत्त-I और II की अधिकारिता को छोड़कर शेष राजस्व जिला जयपुर, सवाईमाधोपुर और दौसा
18.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जोधपुर वृत्त	जोधपुर	राजस्व जिले जोधपुर और फलौदी
19.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, बाड़मेर वृत्त	बाड़मेर	राजस्व जिले बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर
20.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, कोटा वृत्त	कोटा	राजस्व जिले कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां
21.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, भरतपुर वृत्त	भरतपुर	राजस्व जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली और डीग
22.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, पाली वृत्त	पाली	राजस्व जिले पाली, सिरोही और जालौर

23.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, उदयपुर वृत्त	उदयपुर	राजस्व जिले उदयपुर, सलूमबर और राजसमन्द
24.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, बाँसवाड़ा वृत्त	बाँसवाड़ा	राजस्व जिले बाँसवाड़ा, इंगरपुर और प्रतापगढ

(सं. प.2(6)वित्त/कर/2023-106)

राज्यपाल के आदेश से,



(डॉ० खुशाल यादव)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4(ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
4. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव